

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

फैसला- / ग्रा०अ०वि० / ठेकेपंजी०-६५ / कनिसहा०-१ / १८-१९, दिनांक-

2019

22-01-19

1105 पंजीकरण संख्या- ३९६ / श्रेणी-'A'-मार्ग / 2019

:—पंजीकरण प्रमाण-पत्र :—

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूटधाम बांदा के पत्र संख्या-८५७ दिनांक-१९-०१-२०१९ से प्राप्त मैसर्स पारूल कान्ट्रक्षन, के "A" श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स पारूल कान्ट्रक्षन (प्रोपराइटर श्री संजय कुमार त्रिवेदी), निवासी कालूकुआँ, जनपद-बांदा को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'A' में ठेकेदारी हेतु दिनांक-३०-०६-२०२१ तक की अवधि के लिये एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-३०-०६-२०२१ के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा के कार्यालय में वैद्यता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


✓

(रवीन्द्र सिंह गंगवार)
मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा।
- 2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट धाम बांदा।
- 3- समरत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने रत्तर से अधीनरथ प्रखण्ड / पी०आई०यू० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०लखनऊ।
- 5- निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०लखनऊ।
- 6- मैसर्स पारूल कान्ट्रक्षन (प्रोपराइटर श्री संजय कुमार त्रिवेदी), निवासी कालूकुआँ, जनपद-बांदा (मो०न-९६२८४००७६२) (ईमेल- sanjay1972banda@gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किरी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।
- 7- अवर अभियंता(प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियंता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/ठेकेदार के पंजीकरण की इन्ट्री विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।



(पश्चिमी)
ग्रा०वि०
लखनऊ।

मुख्य अभियंता(प०क्षे०)

1522 () १९१